न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
40 / 2019	30.07.2019	05.02.2021

उनवान

1. रामप्रसाद
2. महेन्द्रसिंह पुत्रान श्री होशियार जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. देशराज पुत्रान श्री बुधराम
3. बुधा पुत्र श्री भगवानसहाय
4. रामचन्द्र पुत्र श्री पांचा
5. संतरा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

: निर्णय :–

दिनांक :– 05.02.2021

उपस्थिति :–

1– श्री बस्तीराम याादव, वकील प्रार्थी

2– श्री संजय शर्मा, वकील अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 846 / 0.16 हैक्0, 847 / 0.18 हैक्0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्0, व आराजी ख0 नं0 848 / 0.25 हैक्0, [illegible] ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

2. यह है कि मिन प्रार्थीगण की आराजी हाल ख0 नं0 848 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर के साथ लगती हुयी आराजी ख0 नं0 847 वाके ग्राम जालावास अप्रार्थीगण की है।

3. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 848 व आराजी ख0 नं0 847 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर की कदीमी डोल को अप्रार्थीगण अनावश्यक रूप से मिसमार करते रहते है, तथा डोल को मिसमार कर मिन प्रार्थीगण की आराजी को धीरे धीरे दबा लिया जिस पर मिन प्रार्थीगण ने अपनी आराजी की पैमाईस कराने हेतू श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर को आराजी ख0 नं0 848 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर की पैमाईस कराने हेतू प्रार्थना पत्र दिनांक 26/06/19 को पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र पर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर ने पटवारी हल्का जालावास को आदेश क्रमांक/आरए/19/586 दिनांक 26/06/19 को दिया, जिस पर हल्का पटवारी भुनगडा अहीर, सिहाली खुर्द, एवं मानका एवं जालावास को आराजी ख0 नं0 848 वाके ग्राम जालावास पर मौके पर जाकर पैमाईस की गयी जिसमें कुछ भूमि आराजी ख0 नं0 847 में दबी पायी गयी, तथा मौके पर उपस्थिति आराजी ख0 नं0 847 के काश्तकारों को सीमाज्ञान कराया गया तथा निशानात लगाये गये। रिपार्ट पैमाईस संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह है कि अप्रार्थीगण ख0 नं0 847 में दबी हुयी आराजी को नहीं छोड रहे है, तथा बार बार अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहे है। तथा प्रार्थीगण के ख0 नं0 848 की डोल को तोडकर कुछ भूमि मिला रखी है, तथा दबी हुयी भूमि को नहीं छोड रहे है, तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। इसलिये मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी की पैमाईस के अनुसार पत्थर गढी कराने के अधिकारी है। इसलिये प्रार्थना पत्र पत्थर गढी अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आराजी हाल ख0 नं0 848 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर की पैमाईस के अनुसार पत्थर गढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद [illegible] नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश किये है जो शामिल मिसल [illegible]

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी की पूनः पैमाईश कर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि एक माह में विवादित आराजी की समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में पुनः पैमाईश कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested